न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/167

1. भैरूलाल आत्मज काल्या जाति धाकड निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. ओम प्रकाश आत्मज कान्हा ।
3. दुर्गाशंकर आत्मज कान्हा ।
4. द्वारकी बाई पुत्री कान्हा
5. बृजगोपाल पुत्री कान्हा ।
6. भैरूलाल आत्मज कान्हा ।
7. मुकुट बिहारी आत्मज कान्हा ।
8. श्रवणी बाई पत्नी कान्हा ।
9. शिवजी आत्मज कान्हा ।
10. हेमराज आत्मज कान्हा जातियान माली निवासीगण ग्राम हिंगोनिया तहसील कनवास जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. आत्माराम पुत्र कल्याण ।
2. घनश्याम पुत्र कल्याण ।
3. पार्वती पत्नी कल्याण ।
4. बलराम पुत्र कल्याण ।
5. भवानी शंकर पुत्र कल्याण जरिये कायममुकाम :–
   5/1. मंजू बाई पत्नी भवानी शंकर उम्र 45 वर्ष ।
   5/2. अश्विनी सैनी पुत्र भवानी शंकर उम्र 24 वर्ष ।
   5/3. विजय सैनी पुत्री भवानी शंकर उम्र 16 वर्ष जातियान माली निवासीगण ग्राम हिंगोनिया तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी 603, संतोषी नगर नाले के पास कोटा ।
6. द स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील कनवास जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्म, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लोकेश सैनी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 25.08.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हिंगोनिया तहसील कनवास में खाता संख्या नया 131 में खसरा नम्बर 207 की रकबा 0.93 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि पर आने–जाने का सदैव का प्रचलित रास्ता कनवास–सांगोद सडक खसरा नम्बर 259 से पश्चिम की ओर खसरा नम्बर 206 व 252 के मध्य स्थित मेड से होकर सीधा वादीगण की आराजी तक जाता है । वादीगण का यही एक मात्र प्रचलित रास्ता है जिस पर से होकर वादीगण अपने खेत में ट्रेक्टर, ट्रोली, बेलगाडी एवं कृषि उपकरण आदि लाते ले जाते हैं । वादीगण के खेत में जाने व जाने का उक्त वर्णित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकित नहीं होने से उक्त वर्णित खसरा नम्बर 206 व 252 के मध्य की मेड पर स्थित रास्ते को जबरन हांक दिया है तथा अवरूद्ध कर दिया है । वादीगण की आराजी पर पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । वादीगण नियमानुसार रास्ते की भूमि का मुआवजा देने को तैयार है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए कनवास–सांगोद डाबर सडक से पश्चिम की ओर खसरा नम्बर 206 व 252 के मध्य स्थित मेड से होकर सीधा वादीगण के खेत खसरा नम्बर 207 तक 30 फीट चौडाई में रास्ता दिया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में व नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किया जावे ।

4. अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 10 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.08.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम हिंगोनिया के खसरा नम्बर 206 एवं 252 के मध्य मेड से 05 मीटर चौडाई में एवं 57 मीटर लम्बाई का रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 लगायत 10 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित एवं निर्देशित प्रावधानों के विपरीत केवल मात्र एक खातेदार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्व में कोई

रास्ता नहीं होने के बावजूद धारा 251 (ए) 1 (बी) में कार्यवाही से पूर्व पक्षकारों के ध्मय कोई समझाईश की कार्यवाही किये बिना केवल मात्र प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की सुविधा के लिए पूर्व के वैकल्पिक रास्ते की अनदेखी करते हुए केवल पटवारी की एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर नवीन रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2021 निरस्त फरमाया जावे।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उल्लेखित एवं निर्देशित प्रावधानों के विपरीत केवल मात्र एक खातेदार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्व में कोई रास्ता नहीं होने के बावजूद धारा 251 (ए) 1 (बी) में कार्यवाही से पूर्व पक्षकारों के ध्मय कोई समझाईश की कार्यवाही किये बिना केवल मात्र प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की सुविधा के लिए पूर्व के वैकल्पिक रास्ते की अनदेखी करते हुए केवल पटवारी की एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर नवीन रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय धारा 251 (ए) के प्रावधानों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुंचाने के लिए उक्त आदेश पारित किया है । यदि नवीन रास्ता ही बनाना था तो अन्य काश्तकारों के एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु सम्पूर्ण जॉच कराकर रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के खाते की भूमि खसरा नम्बर 207, 208 व 212 की मेड में होकर आगे तक की प्लानिंग के अनुसार निर्णय लेना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा यह कहीं भी सिद्ध नहीं किया गया था कि उसको रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है तथा धारा 251 (ए) के अन्तर्गत नया रास्ता मात्र और मात्र केवल आत्यांतिक आवश्यकता के लिए ही प्रदान किया जा सकता है किसी के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते चौडाई भी प्रार्थी के अनुसार घटा एवं बढा दी । बिना किसी वैध आधार के चौडाई का निर्णय किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनरांक 25.08. 2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 687, आरबीजे 2016 पेज 338, आरबीजे 2019 पेज 43, आरआरटी 2022 (2) पेज 1096 उद्धृत किये ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के खाते की भूमि पर आने–जाने हेतु रेस्पोडेन्ट का एकमात्र रास्ता वही है । उक्त रास्ता खसरा नम्बर 206 व 252 के मध्य मेड पर स्थित है जिसे अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने जबरन बन्द कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तहसीलदार कनवास से प्राप्त की गई जो रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 206 व 252 की मेड से होकर ही माना है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी समस्त प्रशासन द्वारा अवलोकन कर, मूल्यांकन रिपोर्ट का

अवलोकन किया गया । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने साक्ष्य में रामबिलास व रामरतन के शपथ पत्र भी पेश किये गये हैं। रेस्पोडेन्ट के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में मुआवजा राशि जमा करवा दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर रास्ता कायम किया गया है ।अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने हेतु रास्ता कायम करने का कथन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रास्ता कायम किये जाने के आदेश पारित किये । प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया तथा बिना सुनवाई के एकतरफा निर्णय पारित किया है । यह सही है कि मौका रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं है कि अपीलान्ट को सूचित किया गया था या नहीं ? केवल यह अंकित है कि, मौका रिपोर्ट उपस्थित लोगों को पढलिख कर सुनवायी गई एवं उनके हस्ताक्षर करवाए गये । हमने इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया । आदेशिका दिनांक 07.07.2021 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के संज्ञान में मौका–रिपोर्ट आ चुकी थी तथा रास्ते की चौडाई का तथ्य भी उनके संज्ञान में था । आदेशिका दिनांक 25.08.2021 में स्पष्ट उल्लेख है कि, "प्रतिवादी द्वारा बहस हेतु इंकार किया गया ।" उक्त आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को प्राप्त रिपोर्ट व तथ्यों पर सुनवाई का अवसर दिया गया था । जहॉ तक मौका रिपोर्ट का प्रश्न है, मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे की नीचे तहसीलदार, आईएलआर व पटवारी के हस्ताक्षर हैं तथा तीन अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं । नजरी नक्शा अवलोकन से प्रथमदृष्टया सबसे छोटा मार्ग यही प्रतीत होता है । जिस वैकल्पिक रास्ते का कथन अपीलान्ट व अप्रार्थी ने किया है मौका रिपोर्ट के अनुसार उन खसरा नम्बरों में चारागाह, गै0मु0 शमशान व अन्य खातेदारों की भूमियॉ सम्मिलित हैं तथा मुताबिक रिकॉर्ड भी यह कोई रास्ता नहीं होना अंकित किया है । अतः वैकल्पिक रास्ते का कथन साबित करने में अपीलान्ट असफल रहे हैं । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जो अधीनस्थ न्यायालय ने मौके एवं आत्यांकितक आवश्यकता के अनुसार लघुत्तम मार्ग रेस्पोडेन्ट को प्रदान किया है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2021 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा